Social Welfare Dept., Bihar

Sanction Order No. /2019-20

J.T.M 326
16/3/20

राज्य स्कीम की राशि

3/यो0-28/2018 18

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2019-20)

प्रेषक,

विजय रंजन,

संयुक्त निदेशक (मु0),

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 13.3.2020

विषय : **वित्तीय वर्ष 2019-20 में समाज कल्याण निदेशालय अन्तर्गत संचालित पर्यवेक्षण गृह/बाल गृह का निर्माण हेतु कुल रूपये 2354.70 लाख (तेइस करोड चौवन लाख सत्तर हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में समाज कल्याण निदेशालय अन्तर्गत संचालित पर्यवेक्षण गृह/बाल गृह का निर्माण हेतु पूर्व में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 21 दिनांक 08.04.2019 तथा 46 दिनांक 07.08.2019 द्वारा इस मद हेतु कुल रूपये 500.00 लाख (पांच करोड) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। साथ ही इस मद में आन्तरिक सामंजन के माध्यम से 863.00 लाख रू० का योजना उदव्यय/बजट उपबंध के आलोक में इस मद में कुल 1363.00 लाख रू० का बजट उपबंध प्राप्त है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में तृतीय अनुपूरक से प्राप्त राज्य स्कीम मद में **कुल रूपये 2354.70 लाख (तेइस करोड चौवन लाख सत्तर हजार) अतिरिक्त मात्र की स्वीकृति** निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :-

राशि रू0 लाख में

क्र0	**योजना का नाम**	**विषय शीर्ष**	**विपत्र कोड**	**अतिरिक्त स्वीकृत राशि**
1	पर्यवेक्षण गृह/बाल गृह का निर्माण	0104-5301	(03-4235020510104)	2354.70
कुल योग (तेइस करोड चौवन लाख सत्तर हजार)				**2354.70**

2. स्वीकृत राशि का आवंटन प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संबंधित भवन प्रमण्डल को प्रदान किया जायेगा। आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विनिर्दिष्ट/प्राधिकृत कार्यपालक *अभियंता, भवन प्रमण्डल*/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार संबंधित कोषागार से की जायेगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998, 3758/वि0 दिनांक-31.05.2017 378/वि0 दिनांक-16.01.2018, 354/वि0 दिनांक-28.03.2018, 256/वि0 दिनांक 26.02.2019, 331/वि० दिनांक 05.03.2020 एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0- 3/यो0-28/2018 के टिप्पणी पृ0-........../टि0 पर दिनांक-................ को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि निकासी के 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे एवं इस राशि का व्यय केवल उसी मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए आवंटन प्राप्त है।

6. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

13/3/20

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु०)

ज्ञापांक- : 3/यो0-28/2018/ 18 पटना-15, दिनांक- 13.3.2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग(बजट शाखा)/भवन निर्माण विभाग/निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निदेशक, आई0सीडी0एस0, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/सचिव, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/लेखा-शाखा, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/3/20

संयुक्त निदेशक (मु०)

ज्ञापांक- : 3/यो0-28/2018/ 18 पटना-15, दिनांक- 13.3.2020

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी तथा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/3/20

संयुक्त निदेशक (मु०)